



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 389 राँची, गुरुवार,

7 अगस्त, 2025 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

7 अगस्त, 2025

संख्या-04/बंदो0-45-02/2025-1446--विभागीय अधिसूचना संख्या-903 दिनांक-21.05.2025 द्वारा अधिसूचित "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" तथा बिक्री अधिसूचना की शर्तों के तहत दिनांक 01.09.2025 से 31.03.2030 तक की अवधि के लिए झारखंड राज्य के सभी जिलों में "देशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट दुकान" की बन्दोबस्ती ई-लॉटरी प्रणाली द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संपादित की जाएगी:-

- "देशी शराब की दुकान" और "कम्पोजिट दुकान" की ई लॉटरी से बन्दोबस्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक-08/08/2025 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक-20.08.2025 को 7:00 PM तक <https://exciselottery.jharkhand.gov.in> पोर्टल (वेबसाइट) पर प्राप्त किये जायेंगे।
- ई-लॉटरी में प्रतिभागिता के लिए संबंधित दुकान/दुकानों के समूह हेतु बिक्री अधिसूचना में निर्धारित धरोहर धनराशि तथा आवेदनशुल्क का भुगतान Credit Card/Debit

Card/ NET BANKING/NEFT/ RTGS/IMPS इत्यादि ऑनलाइन विधि से उक्त पोर्टल (वेबसाइट) पर प्राप्त किया जायेगा। उक्त भुगतान की पुष्टि आवेदन पोर्टल/विभाग के खाते में दिनांक-20.08.2025 को 11:59 PM तक प्राप्त हो जानी चाहिए। दिनांक-20.08.2025 को 11:59 PM तक विहित राशि के भुगतान प्राप्ति की पुष्टि आवेदन पोर्टल अथवा विभागीय बैंक से अप्राप्त रहने की स्थिति में आवेदक ई-लॉटरी में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।

- iii. कम्प्यूटर से **Randomization** के द्वारा दिनांक 22/08/2025 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से ई-लॉटरी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-लॉटरी के ऑनलाइन प्रसारण का लिंक विभागीय वेबसाइट <https://excise.jharkhand.gov.in> एवं जिला के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ई-लॉटरी का ऑनलाइन टेलीकास्ट सभी जिला समाहरणालय में भी किया जायेगा।
- iv. ई-लॉटरी की प्रक्रिया राज्य स्तर पर दुकान/दुकानों के समूह के लिये निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (MGR) के आधार पर अवरोही क्रम (**descending order**) में सम्पन्न होगी।
- v. ई-लॉटरी का परिणाम <https://excise.jharkhand.gov.in> एवं जिला के **NIC** वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
- vi. ई-लॉटरी में सफल विजेता को आवेदन तथा उसके साथ संलग्न किये जानेवाले सभी कागजातों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित मूल प्रमाण-पत्र के साथ दिनांक 25.08.2025 तक संबंधित जिला उत्पाद कार्यालय में अवश्य जमा करना होगा।
- vii. ई-लॉटरी में सफल विजेता को संबंधित दुकान/दुकानों के समूह के लिए प्रतिभूति राशि तथा निर्धारित एकमुश्त वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क दिनांक 25.08.2025 तक संबंधित जिला उत्पाद कार्यालय में अवश्य जमा करना होगा।
- viii. ई-लॉटरी में सफल विजेता को दिनांक 29.08.2025 तक प्रस्तावित दुकान परिसर के लिए आपत्ति रहित स्थल का पूर्ण विवरण संबंधित जिला उत्पाद कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
- ix. ई-लॉटरी में सफल विजेता को दिनांक 29.08.2025 तक अग्रिम उत्पाद परिवहन कर (ETD) की राशि जमा करनी होगी।

2. बिक्री अधिसूचना की शर्तें, जिलावार खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों के समूह की विवरणी, आवेदन प्रपत्र, ई-लॉटरी हेतु आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया, शपथ पत्र इत्यादि का विहित प्रारूप सभी जिला उत्पाद कार्यालय, विभागीय वेबसाइट <https://excise.jharkhand.gov.in> एवं <https://exciselottery.jharkhand.gov.in> पर प्राप्त की जा सकती है।

3. ई-लॉटरी हेतु आवेदन समर्पित करने में किसी प्रकार की कठिनाई के निराकरण हेतु विभागीय स्तर पर Helpdesk का गठन किया गया है, जिसका मोबाइल संख्या- 9430321831 (सामान्य कॉल), 9508065730 (Whatsapp मैसेज) एवं ई-मेल आईडी- **excise.jhr@gmail.com** है। उक्त मोबाइल संख्या प्रत्येक दिन के पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक क्रियाशील रहेगी। सभी जिला उत्पाद कार्यालयों के स्तर पर भी एक Helpdesk का गठन किया जायेगा, जिसकी विवरणी संबंधित जिला के छप्ब वेबसाईट तथा उत्पाद कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

4. खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं ई-लॉटरी की तिथि में परिवर्तन करने का एकाधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

आयुक्त उत्पाद,
झारखंड, राँची।
